



टी बोर्ड भारत
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन , वाणिज्य विभाग , भारत सरकार)
14 बी.टी.एम. सारणी (ब्रेबोर्न रोड)
कोलकाता - 700 001

वेबसाइट : www.teaboard.gov.in

दूरभाष : +91 33 2237 1161

दिनांक : 07.08.2019

कार्यालय ज्ञापन सं. - 68/2019

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री रिपेन राय (R-199) , कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी , जो बोर्ड के दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र , कार्सियोंग , में तैनात हैं , दिनांक - 29.02.2020 को 60 वर्ष के हो जायेंगे । वे टी बोर्ड नियम , 1955 (जैसे कि समय-समय पर संशोधित किये जाते हैं) के उप-नियम , 30 जिसे वित्तीय नियम (FR) 56 (a) के साथ पढ़ा जाता है , के अनुसार दिनांक 29.02.2020 के अपराह्न से बोर्ड के सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

श्री राय सेवानिवृत्ती की तिथि से पहले नियम के तहत प्रदत्त परिवर्तित छुट्टी / अर्ध वेतन छुट्टी सहित सभी प्रकार के छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं । हालांकि , उन्हें 300 दिनों से अधिक अर्जित छुट्टी का लाभ प्रदान नहीं की जाएगा , यदि यह भारत के भीतर खर्च किया जाता है ।

यदि वे चाहते हैं तो , उन्हें कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) , भारत सरकार , द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं.14028/3/2008-Estt.(L) दिनांकित 25.09.2008 के अनुक्रम में सेवानिवृत्ति के दिन तक उनके छुट्टी के वेतन के समतुल्य उनके खाते में जमा अर्जित छुट्टी एवं अर्ध वेतन छुट्टी (इस शर्त के साथ कि अर्जित छुट्टी एवं अर्ध वेतन छुट्टी की संख्या 300 दिनों से अधिक नहीं हो) के बाबत नकद प्रदान की जा सकती है ।

(पी.के. दाश)
सहायक सचिव (प्रभारी)

वितरण :

1.	श्री रिपेन राय (R-199) , कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी , दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र , कार्सियोंग	
2.	अनुसंधान निदेशक	
3.	उप-निदेशक , चाय विकास , टी बोर्ड , सिलीगुड़ी	
4.	निदेशक , चाय विकास	
5.	वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी	
6.	लेखा अधिकारी (वेतन)	
7.	छुट्टी अनुभाग	
8.	प्रभारी , पेंशन एवं प्रोविडेंट फंड अनुभाग	
9.	सचिवालय शाखा	
10.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रति सहित
11.	आईटी प्रकोष्ठ	बोर्ड के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु निवेदन
12.	टी बोर्ड कर्मचारी सहकारी संस्था , कोलकाता	
13.	टी.बी.ई.ए. / टी.बी.डबल्यू.ए. / टी.बी.ओ.ए.	

संदर्भ फ़ाइल सं. 23(3)/Estt/2019